अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०...से...तक

जिला.., सं०.., सन् १९..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-52/2022

सोनम कुमारी ....पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य..................................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद सोनम कुमारी, पति-राकेश कुमार पटेल, सा0-आलमनगर पूर्वी, वार्ड नं0-03, प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-27/2019 में समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है, जिसके द्वारा इससे संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के न्यायालय में वाद संख्या-41/2018 में दिनांक 11.09.2019 को पारित आदेश एवं आमसभा में चयन समिति के द्वारा किये गये वादी के चयन को रद्द करते हुए विपक्षी सं0-05, अनामिका कुमारी, पति-शिवम कुमार को चयन-पत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

दिनांक 06.04.2023 को उभय पक्ष की सुनवाई के उपरांत वाद को आदेश पर लिया गया। न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0-05, अनामिका कुमारी के द्वारा उनके समक्ष आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 की कंडिका-13 के अधीन संबंधित वाद में दिनांक 11.09.2019 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-27/2019 के रूप में अंगीकृत करते हुए सुनवाई की गई। उक्त वाद में समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई के उपरान्त आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 के अनुसार आदेश भी पारित किया गया है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम

आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को पोषणीय नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

....

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1171 (1M)/विधि सहरसा, दिनांक 26-4-2023

प्रतिलिपि :- (1) समाहर्त्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-52/2022 में दिनांक-25.04.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

(2) प्रभारी पदाधिकारी, विधि, मधेपुरा को उनके डी0बी0नं0-254/न्या0 दिनांक-13.06.2022 से प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-27/2019 से संबंधित अभिलेख मूल में आदेश फलक (पृ0क0-01 से 06 तक तथा अन्य कागजात पृ0क0-07 से 75) तक वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

(3) श्रीमती सोनम कुमारी, पति-राकेश कुमार पटेल / अनामिका कुमारी, पति-शिवम कुमार, दोनो सा0-आलमनगर पूर्वी, वार्ड नं0-03, प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।